कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया

पत्रांक 04 /

प्रेषक,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
(प्रा० शि०), अररिया।

सेवा में,

अध्यक्ष / प्रबंधक

स्टार ग्लोबल पब्लिक स्कूल, शिवपुरी, वार्ड नं0– 09, अररिया

अररिया, दिनांक :– 26.9.12

विषय :– बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 05 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक 12.11.11 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय **स्टार ग्लोबल पब्लिक स्कूल, शिवपुरी, वार्ड नं0– 09, अररिया**, जिला–अररिया (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) **प्रथम कक्षा से अष्टम् कक्षा** तक वर्ग संचालन हेतु तीन वर्षो 26.09.12 से 25.09.15 अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृत निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी :–

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नही होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक–1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियामावली, 2011 (अनुलग्नक–2) का अनुपालन आवश्यक रुप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा, तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कंडिका 3 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार कैपिटेशन का फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म–स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नही कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएँगे :–
   - I. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नही रखा जाएगा और न ही किसी नामंकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
   - II. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नही दिया जाएगा तथा मानसिक रुप से प्रताड़ित नही किया जाएगा।
   - III. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यक्ता नही होगी।
   - IV. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।
   - V. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेश किया जाएगा।
   - VI. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरुप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते है, वे 03 वर्षों के अंदर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।
   - VII. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वाहन करेंगे।

VIII. शिक्षक निजी–स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण–गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा, निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रुप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 मे उद्धत मानकों एवं मापदंडों को बरकरार रखेगा। स्वघोषणा–पत्र के आधार पर विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत है :–

विद्यालय–परिसर का क्षेत्रफल – 14 डी0

कुल निर्मित क्षेत्र – अप्राप्त

खेल के मैदान का क्षेत्र :– अप्राप्त

वर्ग कक्षों की कुल संख्या :– 15 (पंद्रह)

प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडार कक्ष :– 3 (तीन)

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय :– हाँ

पेयजल की सुविधा :– हाँ

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई–घर – हाँ

बाधारहित पहुँच :– हाँ

शिक्षण अधिगम सामग्री :–	हाँ	खेल–कूद उपकरण :–	हाँ	पुस्तकालय	हाँ

11 कोई भी अप्रस्वीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
12 विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13 विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रास्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14 विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रति वर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा0शि0), अररिया को भेजी जाएगी।
16 आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या AP004 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाए।
17 निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा0शि0), अररिया अधीक्षक के द्वारा समय–समय पर माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृत की शर्तों के लगातार रुप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18 यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. विद्यालयों के लिये अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत जो मान और मानक निर्धारित है, उन्हें 03 (तीन) वर्षों के अन्दर पूर्ण कर लेनी पड़ेगी अन्यथा आपकी प्रस्वीकृति रद्द कर दी जायेगी। विद्यालय के लिये मान और मानक निम्नवत है –

क्र0 सं0	मद	मान और मानक	
01	शिक्षकों की संख्या		
	क. पहली कक्षा से पाँचवीं कक्षा के लिए	प्रवेश किये गये बालक	शिक्षकों की संख्या
		60 तक	दो
		61–90 के मध्य	तीन
		91–120 के मध्य	चार
		121–200 के मध्य	पाँच
		150 बालकों के उपर	पाँच धन एक प्रधान अध्यापक
		200 बालकों के उपर	छात्र–शिक्षक अनुपात (प्रधान अध्यापक को छोड़कर) 40 से अधिक नहीं होगा
	ख. छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिये	1. कम–से–कम प्रति कक्षा एक शिक्षक, इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम–से–कम एक शिक्षक हो :– I. विज्ञान और गणित II. सामाजिक अध्ययन III. भाषा 2. प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम–से–कम एक शिक्षक। 3. जहाँ 100 से उपर बालकों को प्रवेश दिया गया है वहाँ– I. एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक II. अंशकालिक शिक्षण के लिए– अ. कला शिक्षा आ. स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षक ई. कार्य शिक्षा	
02	भवन	सभी मौसम वाला भवन, जिसमें निम्नलिखित होंगे – (i) प्रत्येक शिक्षक के लिए कम–से–कम एक कक्षा और एक कार्यालय सह–भंडार–सह प्रधान अध्यापक कक्ष; (ii) बाधा मुक्त पहुँच, (iii) लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक शौचालय; (iv) सभी बालकों के लिए सुरक्षित और प्याप्त पेय जल; (v) रसोई, जहाँ दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जाए; (vi) सीमा दीवाल या बाड़े द्वारा विद्यालय भवन कर सुरक्षा करने के लिए व्यवस्थाएं; (vii) खेल का मैदान;	
03	एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों / शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या	(i) पहली से पाँचवीं कक्षा के लिए 200 कार्य दिवस; (ii) छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए 220 कार्य दिवस ; (iii) पहली से पाँचवी कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 800 शिक्षण घंटे; (iv) छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 1000 शिक्षण घंटे	
04	शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटे की न्यूनतम संख्या	45 (शिक्षण तैयारी के घंटे सम्मिलित करते हुए)	
05	अध्यापन शिक्षण उपस्कर	प्रत्येक कक्षा के लिए यथा अपेक्षित उपलब्ध कराए जाएगे।	
06	पुस्तकालय	प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं और सभी विषयों पर पुस्तकें, जिसके अन्तर्गत कहानी की पुस्तकें भी है, उपलब्ध होंगी।	
07	खेल सामग्री, खेल और क्रीड़ा उपस्कर	प्रत्येक कक्षा को यथा अपेक्षित उपलब्ध कराए जाएगे।	

अनु0–यथोपरि।

विश्वासभाजन

26.09.12

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा0शि0),

26/9/12

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया

(प्राथमिक शिक्षा)

पत्रांक 63

प्रेषक,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
(प्रा०शि०), अररिया।

सेवा में,

प्रबंधक / संस्थापक,
स्टार ग्लोबल पब्लिक स्कूल, शिवपुरी, अररिया।

अररिया, दिनांक 03/08/15

विषय :- स्थायी प्रस्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक 04 दिनांक 26.09.2012 द्वारा स्टार ग्लोबल पब्लिक स्कूल, शिवपुरी, अररिया (विद्यालय का नाम) को दिनांक 25.09.2015 तक के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त विद्यालय का कार्यकाल उक्त अवधि में संतोषप्रद पाये जाने के फलस्वरूप दिनांक 31.07.2015 को जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–संयोजक की अध्यक्षता में बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 के अधिनियम की धारा 18 के प्रयोजनार्थ विद्यालयों की प्रस्वीकृति हेत आहुत बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में स्थायी प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

साथ ही यह भी अंकित करना है कि यदि भविष्य में जाँच के क्रम में विद्यालय असंचालित / प्रस्वीकृति पत्र में अंकित शर्त के अनुरूप संचालन नहीं पाया जाता है, तो दी गयी प्रस्वीकृति को रद्द करने हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन

03.08.15

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
03/08/15 (प्रा०शि०), अररिया